सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 81 राँची, मंगलवार, 22 फ़रवरी, 2022 (ई०)

ऊर्जा विभाग

संकल्प

6 अक्टूबर, 2021

विषय:- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(PIL) No. 3118 of 2014 के आलोक में झारखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोर्पोराशन के 08 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के asset/liabilities मानवबल (13) सहित हस्तांतरण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में ।

संकल्प सं.-3/ऊ.वि. कोर्ट केस-19/14-.....--झारखण्ड राज्य के गठन (बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000) के पश्चात् झारखण्ड राज्य के भौगोलिक सीमा में अवस्थित 08 जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोर्पोराशन द्वारा किया जा रहा था ।

वर्ष 2014 में (WP(PIL) 3118/14) जितेन्द्र कुमार बनाम झारखण्ड राज्य दायर किया गया जिसके माध्यम से झारखण्ड राज्य को Tenu Bokaro Line Canal एवं Chandil Hydel Project को Commission करने हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया ताकि उक्त परियोजनाओं का लाभ नागरिकों को मिल सके। माननीय् झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(PIL) No. 3118 of 2014 के तहत् निम्नांकित आदेश पारित किया गया है:-

"We have considered the aforesaid relevant facts involving the issue raised through this Public Interest Litigation. We are satisfied that a decision to resolve all issues in relation to transfer of small hydel projects to the State of Jharkhand, have been taken in principle by the State of Bihar and Bihar State Hydroelectric Power Corporation. The Respondent authorities of the State of Bihar and BSHEPC together with the counterpart authorities of the State of Jharkhand and its agency would ensure that formalities in completing the transfer process would be completed within a period of eight weeks from today. On transfer of all necessary papers and completion of these formalities, the Respondent State of Jharkhand would take up the issue of commissioning of these projects in right earnest thereafter. We expect that the Respondent State of Jharkhand and/or its agency would ensure that these projects are commissioned in a time bound manner, preferably within four months thereafter."

माननीय् झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जे्रडा को बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अधीन झारखण्ड राज्य के भौगौलिक सीमा में अवस्थित 08 जल विद्युत परियोजनाओं चाण्डिल (सरायकेला), तेनुबोकारो (बोकारो), उतर कोयल (पलामू), जालिमघाघ (गुमला), निन्दीघाघ (लोहरदगा), सदनी (गुमला), लोअरघाघरी (पलामू) एवं नेतरहाट (पलामू) को झारखण्ड राज्य में As is where is के आधार पर झारखण्ड राज्य को हस्तांतरित किये जाने का निर्देश दिया गया।

1. ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार द्वारा भी पत्रांक 456 दिनांक 13.02.2018 के द्वारा बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अधीन झारखण्ड राज्य के भौगौलिक सीमा में अवस्थित 08 जल विद्युत परियोजनाओं चाण्डिल (सरायकेला), तेनुबोकारो (बोकारो), उतर कोयल (पलामू), जालिमघाघ (गुमला), निन्दीघाघ (लोहरदगा), सदनी (गुमला), लोअरघाघरी (पलामू) एवं नेतरहाट (पलामू) को झारखण्ड राज्य में As is where is के आधार पर झारखण्ड राज्य को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति दी गई है ।

2. बिहार राज्य जल विद्युत निगम एवं जे्रडा के नामित पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त बिहार राज्य जल विद्युत निगम के मुख्यालय पटना में दिनांक 16-17 मई 2019 को हस्तांतरण हेतु बैठक की गई। बैठक में निम्नलिखित अभिलेख तैयार कर हस्तगत करने हेतु सूचित करने का निर्देश दिया गयाः-

i. Details list of Plant and Equipments Project-wise.
ii. Details of Stores/Materials Project-wise.
iii. List of Manpower deployed in these projects.
iv. Status of generating units project-wise.
v. Details of liabilities project-wise and agency-wise.
vi. Details of advance payment (if any) made to agency project-wise.
vii. List of all technical, financial, Legal files etc. project-wise.
viii. List of drawings, Manuals of plants and equipments project-wise.
ix. List of other related document if any.

3. बिहार राज्य जल विद्युत निगम के द्वारा उपरोक्त अभिलेख हस्तांतरित किये गये तथा बिहार राज्य जल विद्युत निगम के द्वारा झारखण्ड राज्य के भौगौलिक सीमा में अवस्थित 08 जल विद्युत परियोजनाओं चाण्डिल (सरायकेला), तेनुबोकारो (बोकारो), उतर कोयल (पलामू), जालिमघाघ (गुमला), निन्दीघाघ (लोहरदगा), सदनी (गुमला), लोअरघाघरी (पलामू) एवं नेतरहाट (पलामू) को झारखण्ड राज्य में As is where is के आधार पर झारखण्ड राज्य को हस्तांतरित किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई।

जे्रडा के पदाधिकारियों के द्वारा झारखण्ड सरकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त 08 परियोजनाओं के assets/liabilities As is where is के आधार पर मानवबल सहित प्राप्त किया गया है ।

4. उक्त 08 परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नवत् हैः-

I. **Chandil HEP (Saraikela- 2x4 MW):** There are two units of 4 MW each. Initial work order for EPC was placed on M/s BHEL but due to dispute between BHEL and BHPC work was not completed. Further balance of work was awarded to M/s HPP, Delhi and the E/M Equipment with all common facilities was executed and trial synchronisation of Unit-I was done during August, 2013. Unit-I was not made operational due to 33 KV Transmission line constraints. Turbine of Unit-II was erected but erection of Generator and another E/M Equipments of Unit-II was required to be done. Presently work is held up due to fund crisis. Chandil HEP (2x4MW) can be made operational after completion of balance work awarded to M/s HPP, Delhi and construction of 33 KV Transmission line between Chandil HEP and nearest Sub-station of JBVNL.

II. **Tenu Bokaro Link Canal Mini HEP (1x1 MW):** There is one unit of 1 MW. Initial work order for EPC was placed to M/s Best & Crompton and after completion of 95% work trial synchronisation was done by M/s Best & Crompton. Most of the Plants and Equipments were stolen for which BHPC had lodge FIR, leftover Plants and Equipments are of no use.

III. **Mandal (North Koyal, Palamu-2x12 MW):** BHPC reported that only partial civil work was done at site up to 2007. No erection of E/M equipments started at site.

IV. **Jalimghagh (Gumla- 1x200 kW):** BHPC reported that Forest Clearance was not provided by concerned department so Project was not implemented.

V. **Nindighagh (Lohardaga- 1x200 kW):** BHPC reported that Forest Clearance was not provided by concerned department so Project was not implemented. The E/M Equipments of Nindighagh project was kept at E/M Store Chandil.

VI. **Sadani (Gumla- 2x500 kW):** BHPC reported that Forest Clearance was not provided by concerned department so Project was not implemented. E/M Equipments were kept in Store/Open Yard under the custody of M/s Pareek Power Pvt. Ltd. at Netarhat.

VII. **Lower Ghaghary (Palamu -2x200 kW):** BHPC reported that Forest Clearance was not provided by concerned department so Project was not implemented. E/M Equipments were kept in Store/Open Yard under the custody of M/s Pareek Power Pvt. Ltd. at Netarhat.

VIII. **Netarhat (Palamu-1x50 kW):** BHPC reported that Forest Clearance was not provided by concerned department so Project was not implemented.

5. उक्त 08 परियोजनाओं में कुल 13 मानवबल कार्यरत हैं, जिनकी विवरणी निम्नवत् हैः-

1. श्री मधुकर, सहायक अभियंता (चांडिल जल विद्युत परियोजना) ।

2. श्री अरविन्द कुमार चौबे, कनीय लेखा लिपिक (चांडिल जल विद्युत परियोजना) ।

3. श्री अजय कुमार, डिप्लोमाधारी अभियंता (चांडिल जल विद्युत परियोजना) ।

4. श्री कमलेश कुमार, तृतीय वर्ग (चांडिल जल विद्युत परियोजना) ।

5. श्री तोड़ो मांझी, सुरक्षा प्रहरी (चांडिल जल विद्युत परियोजना) ।

6. श्री भैरव प्रमाणिक, सुरक्षा प्रहरी (चांडिल जल विद्युत परियोजना) ।

7. श्री राजेश महतो, सुरक्षा प्रहरी (चांडिल जल विद्युत परियोजना) ।

8. श्री नामजन कन्डुलना, सुरक्षा प्रहरी (मंडल जल विद्युत परियोजना) ।

9. श्री प्रमोद कुमार सिंह, सुरक्षा प्रहरी (तेनु बोकारो जल विद्युत परियोजना) ।

10. श्री राजकुमार, सुरक्षा प्रहरी (तेनु बोकारो जल विद्युत परियोजना) ।

11. श्री धनु गोप, चर्तुथ वर्ग (चांडिल जल विद्युत परियोजना) ।

12. श्री भक्ता महतो, चर्तुथ वर्ग (चांडिल जल विद्युत परियोजना)। ।

13. श्री जोसेफ कन्डुलना, चर्तुथ वर्ग (मंडल जल विद्युत परियोजना) ।

6. उक्त कार्यरत सभी 13 कर्मियों/पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तें के मद में कुल रू॰ 2,60,762/- (रू॰ दो लाख साठ हजार सात सौ बासठ) मात्र का व्यय प्रतिमाह होता है तथा अप्रैल 2020 के पूर्व कोई देनदारी बकाया नहीं होना बिहार सरकार द्वारा सूचित किया गया है, साथ ही जे्रडा द्वारा एक नियमित कर्मी की सेवा बिहार राज्य जल विद्युत निगम को वापस की गई है। उक्त के अतिरिक्त परियोजना स्थलों में झारखण्ड गृह रक्षा वाहिणी के कुल 09 = मानवबल @ 550/- प्रतिदिन की दर से कार्यरत है ।

7. सभी परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018-19 तक आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 तक पूरक अंकेक्षण (Supplementary Audit) महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जा चुका है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम यह सूचित किया गया है कि परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018-19 तक आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 तक पूरक अंकेक्षण महालेखाकार कार्यालय द्वारा किया जा चुका है। अंकेक्षण प्रतिवेदन बिहार राज्य जल विद्युत निगम कार्यालय में उपलब्ध है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा समर्पित वित्तीय वर्ष 2019-20 का चार्टेड एकाउटेण्ड द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा परियोजनाओं से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन की आपत्ति कण्डिकाओं का अनुपालन/समाधान प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

8. बिहार राज्य जल विद्युत निगम के पत्रांक-376, दिनांक-15.06.2020 द्वारा परियोजनाओं में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किये गये कार्यों के भुगतान के मद् में कुल रु॰ 3,53,84,208/- लंबित बताई गई है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा सूचित किया गया है कि समर्पित प्रस्ताव में अंकित देनदारी रु॰ 3,53,84,208.94 के अलावे किसी अन्य परियोजनावार व्यय, बकाया या देनदारी नहीं है ।

9. बिहार राज्य जल विद्युत निगम के पत्रांक-376, दिनांक-15.06.2020 के माध्यम से उक्त परियोजनाओं से संबंधित कोर्ट केस की सूची उपलब्ध कराई गई है ।

10 उक्त के अतिरिक्त BSHPC एवं M/s MECAMIDI HPP India Ltd. के बीच एक मामला DIAC (Delhi International Arbitration Centre में लंबित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या-02 जेरडा को बनाया गया है। उक्त मामला DIAC में विचाराधीन है ।

11. दिनांक 03.09.2019 की जेरडा प्रबंध समिति की बैठक में माननीय् झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(PIL) No. 3118 of 2014 के मामले में दिनांक-28.08.2017 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोर्पोराशन के 08 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के assets/liabilities मानवबल (13) सहित हस्तांतरण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है ।

12. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सशर्त सहमति प्राप्त है, जो कि निम्न हैः-

- **विधि (न्याय) विभाग से इस बात की समीक्षा करा ली जाय कि संलेख प्रारूप में वर्णित प्रक्रिया The Bihar Reorganization Act, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत है ।**
- **देनदारी के संबंध में CAG से ऑडिट करा लिया जाय एवं उसी के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जाय ।**

13. उक्त के आलोक में प्रस्ताव पर विधि (न्याय) विभाग के मंतव्य के साथ विधिक्षा प्राप्त है, जो कि निम्न हैः-

Transfer of the assets and liabilities of Eight Minor Hydel Power Projects falling within the State of Jharkhand from the Bihar State Hydro Electric Power Corporation (BSHEPC) to Jharkhand Renewal Energy Development Agency (JREDA) is in accordance to the provisions of Part VI of the Bihar Reorganisation Act, 2000.

14. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-28.09.2021 के मद सं॰-11 के रूप में लिए गए निर्णय के आलोक में माननीय् झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(PIL) No. 3118 of 2014 के आलोक में झारखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोर्पोराशन के 08 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के assets/liabilities मानवबल (13) सहित ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जेरडा को हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./- (अस्पष्ट),
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 81 -- 50